दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 09.07.2024

रि.या.(सि.) 9139/2024

व्हाइट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ...याचिकाकर्ता

द्वारा: वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पिंकी आनंद सह अधिवक्तागण श्री अमरिंदर सिंह, श्री सोमेश अरोड़ा, सुश्री असीस जैस्मीन कौर, सुश्री सौदामिनी शर्मा और श्री समरथ पसरेचा।

बनाम

भारत संघ एवं अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री अवधेश प्रताप सिंह रूडी व.पे.अ. के साथ श्री हुसैन आदिल तकवी, अधिवक्ता (स.प्ली.) और सुश्री उषा जमनाल, प्रत्य.-1 की अधिवक्ता। श्री टी. सिंहदेव, श्री भानु गुलाटी और श्री सौरभ कुमार, प्रत्य.-2 और 3 के अधिवक्ता.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

<u>न्या. स्वर्ण कांत शर्मा, *(मौखिक)*</u>

1. वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता यानी व्हाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:

> "i. तत्काल याचिका की अनुमति दें;
>
> ii. याचिकाकर्ता संस्थान को अकादमिक वर्ष 2024-25 में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश की 150 सीटों के नवीनीकरण की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश के रूप में परमादेश रिट या कोई अन्य रिट, आदेश निर्देश जारी करें।
>
> iii. प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 28.06.2024 को जारी किये गए पत्र संख्या रिन्यूअल/यूजीएमईबी/2023-727, जिसमें याचिकाकर्ता संस्थान की नवीनीकरण की अनुमति अस्वीकार की गई थी, को रद्द करते हुए एक उत्प्रेषण रिट जारी करें।
>
> iv. प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर देने और फिर याचिकाकर्ता के मामले का निर्णय अन्य संस्थान, जिनके लिए नवीनीकरण की अनुमति दी गई है, के साथ योग्यता के आधार पर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें "।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा पत्र संख्या रिन्यूअल/यूजीएमईबी/2023-727, जिसमें याचिकाकर्ता-संस्थान को अकादमिक वर्ष 2024-25 में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश की 150 सीटों के नवीनीकरण की अनुमति को अस्वीकार किया गया था, को रद्द करने की मांग के साथ दायर की गई है। व्हाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जिसे पहले चिंतपूर्णी मेडिकल

कॉलेज और अस्पताल के नाम से जाना जाता था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सीमा पर स्थित है। याचिकाकर्ता-संस्थान बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंस से संबद्ध है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग/प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अनुमोदित है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता-संस्थान पंजाब राज्य सरकार द्वारा भी अनुमोदित और मान्यता प्राप्त है। संस्थान का नाम चिंतपूर्णी कॉलेज और अस्पताल से बदलकर व्हाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कर दिया गया। याचिकाकर्ता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग/प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी किया गया दिनांक 24.06.2024 के संख्या रिन्यूअल/यूजीएमईबी/2023-727 वाले संचार से व्यथित है।

3. याचिकाकर्ता-संस्थान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पिंकी आनंद का तर्क है कि 24.06.2024 पर प्रत्यर्थी सं. 2 यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा संख्या रिन्यूअल/यूजीएमईबी/2023-727 वार्षिक घोषणा प्रपत्र के मूल्यांकन और वर्ष 2024-25 के लिए स्नातक सीटों (एम.बी.बी.एस.) के नवीनीकरण का अनुदान, जिसके तहत याचिकाकर्ता-संस्थान को अकादमिक वर्ष 2024-25 के लिए एम.बी.बी.एस. की सीटों के नवीनीकरण से वंचित कर दिया गया था के विषय वाला एक संचार जारी किया गया था। इस संबंध में, यह तर्क दिया जाता है कि उक्त दिनांक 24.06.2024 का संचार अवैध, मनमाना और अन्यायपूर्ण है क्योंकि यह याचिकाकर्ता-संस्थान को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना जारी किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों

का उल्लंघन है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि चिकित्सा शिक्षा मानक विनियमन, 2023 के रखरखाव के अध्याय III-दंड खंड 8 के अनुसार, याचिकाकर्ता-संस्थान को कमियों को सुधारने के लिए एक उचित अवसर प्रदान किया जाना था, यदि कोई हो, और उसके बाद ही, यदि याचिकाकर्ता-संस्थान आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो कोई कार्रवाई की जा सकती थी । हालाँकि, यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा इसे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है। वर्तमान मामले में आगे यह तर्क दिया गया है कि कई अन्य चिकित्सा संस्थानों को इसी तरह याचिकाकर्ता-संस्थान के साथ रखा गया है और प्रत्यर्थीगण ने कानून के अनुसार मौद्रिक जुर्माना लगाकर उक्त चिकित्सा संस्थानों को अकादमिक वर्ष 2024-25 के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए नवीनीकरण की अनुमति दी है। इस प्रकार, यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता-संस्थान को कमियों को सुधारने का अवसर दिया जाए और कानून के अनुसार अकादमिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश देने की अनुमति दी जाए।

4. शुरुआत में, श्री टी. सिंगदेव, जो प्रत्यर्थी नं. 2 अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हुए हैं, रखरखाव के मुद्दे पर वर्तमान रिट याचिका का पुरजोर विरोध करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता-संस्थान गाँव बंगला, जिला पठानकोट, पंजाब में स्थित है और याचिकाकर्ता-संस्थान द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का समाधान

माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा। अपने तर्क की पुष्टि करने के लिए, श्री टी. सिंहदेव ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रि.या. (सि.) 14187/2023 ***अर्द्रा जोसेफ बनाम भारत संघ और अन्य*** *में* दिनांक 01.11.2023 में पारित आदेश और रि.या. (सि.) 15028/2023 ***द व्हाइट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भूतपूर्व चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम भारत संघ एवं अन्य*** *में* दिनांक 21.11.2023 को पारित आदेश को आधार बनाया है।

5. खंडन में, याचिकाकर्ता-संस्थान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पिंकी आनंद प्रस्तुत करती हैं कि चूंकि याचिकाकर्ता की शिकायत मुख्य रूप से प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है और याचिकाकर्ता-संस्थान के साथ सभी संचार प्रत्यर्थी सं. 2 दिल्ली से ही किये गये हैं, इसलिए याचिकाकर्ता-संस्थान ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका विचारणीय है।

6. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से दलीलें सुनी हैं और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

7. यह ध्यान दिया जाता है कि याचिकाकर्ता-संस्थान पंजाब राज्य में स्थित है और मेडिकल कॉलेज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंस से संबद्ध है और निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, पंजाब, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब के प्रशासनिक नियंत्रण में है। याचिकाकर्ता-संस्थान पंजाब राज्य

सरकार द्वारा भी अनुमोदित और मान्यता प्राप्त है। याचिकाकर्ता-संस्थान ने जिस आधार पर इस उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वह यह है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का मुख्य कार्यालय अर्थात प्रत्यर्थी सं. 2 इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। तथापि, केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी सं. 2 का कार्यालय इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, यह तत्काल रिट याचिका पर विचार करने का आधार नहीं हो सकता है।

8. इस संबंध में, ***कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम संघ भारत*** *(2004) 6 एस.सी.सी. 254* में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:

> ***"सुविधाजनक मंच***
>
> 30. हालाँकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि **भले ही किसी वाद हेतुक का कोई छोटा सा हिस्सा ही उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होता है, इसे अपने आप में उच्च न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर मामले का निर्णय लेने के लिए एक निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता है। उपयुक्त मामलों में, न्यायालय सुविधाजनक मंच के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।** [*भगत सिंह बुग्गा बनाम दीवान जगबीर साहनी, मदनलाल जालान बनाम मदनलाल, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम झरिया टॉकीज एंड कोल्ड स्टोरेज (प्रा.) लिमिटेड, एस.एस. जैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ और न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ]"*
>
> (जोर दिया गया)

9. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय के अनुसार, यदि किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाद हेतुक का हिस्सा मात्र उत्पन्न होता है, तो यह अपने आप में उस विशेष उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए एक निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त मामलों में, न्यायालय सुविधाजनक मंच के सिद्धांत को लागू करके अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

10. इसी तरह का दृष्टिकोण ***गोवा राज्य बनाम शिखर सम्मेलन ऑनलाइन व्यापार समाधान (प्रा.) लिमिटेड*** *(2023) 7 एस.सी.सी. 791* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी लिया गया था। जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> "14. अपने अधिकार क्षेत्र में वाद हेतुक के उत्पन्न न होने के कारण रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय अधिकार न होने की आपत्ति से निपटने के लिए **उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से याचिका ज्ञापन में किए गए कथनों के आधार पर यह मानते हुए कि उसमें दी गयी सामग्री सत्य एवं सही है, निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। यही मूल सिद्धांत है ।** इसे ध्यान में रखते हुए, हमने 2017 के रि.या.(सि.) सं. 38 के याचिका ज्ञापन पर गौर किया है और यह पता लगाने की व्यर्थ कोशिश की है कि याचिका दायर करने वाली कंपनी के द्वारा वाद हेतुक के कुछ हिस्से का उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार के भीतर उत्पन्न होने का दावा कैसे किया गया है।
>
> 15. इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं पर विचार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र के स्पष्टीकरण के रूप में अनुच्छेद 226 के खंड (2) का आह्वान किया गया है। **जब खंड (1) द्वारा प्रदत्त रिट शक्तियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया जाता है तो उस स्थिति में संवैधानिक खंड (2) का**

अधिदेश यह है कि उसमें निर्दिष्ट "वादहेतुक" उन क्षेत्रों के भीतर कम से कम आंशिक रूप से उत्पन्न होना चाहिए जिनके संबंध में उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, बावजूद इसके कि सरकार या प्राधिकरण या व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर नहीं है।

16. संविधान में "वादहेतुक" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, *कुक बनाम गिल* [कुक बनाम गिल] (1873) एल. आर. 8 सी. पी. 107] में लॉर्ड ब्रेट द्वारा दी गई "वादहेतुक" की उत्कृष्ट परिभाषा *"वाद हेतुक प्रत्येक ऐसे वह तथ्य हैं जो वादी को साबित करने आवश्यक रहेंगे, यदि विवादस्पद हो तो, ताकि वह न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय पाने के अधिकार को सुनिश्चित कर सके",* को इस न्यायालय ने कुछ निर्णयों में स्वीकार किया है। यह स्वयंसिद्ध है कि बिना किसी कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। **हालाँकि, रिट याचिका के संदर्भ में, "वादहेतुक" में वह महत्वपूर्ण तथ्य सन्निहित हैं जिनपर रिट याचिकाकर्ता को मांगी गयी राहत प्राप्त करने के लिए अभिवचन करना और साबित करना आवश्यक है ।**

17. इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि क्या अभिवचन किए गए तथ्य वाद हेतुक का हिस्सा हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त हैं, अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि तथ्य, जैसा कि अभिवचन किया गया है, वाद हेतुक का महत्वपूर्ण, आवश्यक या अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकार यह निर्धारित करने में मामले का सार प्रासंगिक है। इसलिए, रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले पक्ष को यह बताना होगा कि वाद हेतुक के समर्थन में अभिवचन किए गए अभिन्न तथ्य निश्चित रूप से उच्च न्यायालय को विवाद का निर्णय करने के लिए सशक्त बनाते हैं और उच्च न्यायालय के समक्ष आने के कारण के तौर पर वाद हेतुक का कम से कम कुछ हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो। अभिवचन किये जाने वाले तथ्यों का संबंध मुकदमे की विषयवस्तु के साथ होना चाहिए, जिसके आधार पर प्रार्थना स्वीकार की जा सके। वे तथ्य जो प्रार्थना की स्वीकृति के लिए प्रासंगिक या उपयुक्त नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकार क्षेत्र

प्रदान करने वाले वाद हेतुक में शामिल नहीं होंगे। ये मार्गदर्शक परीक्षण हैं"

(जोर दिया गया)

11. ***चिंतेश्वर स्टील प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड भारत संघ*** *2012 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्ल् 5264* के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि कई राज्यों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले अखिल भारतीय न्यायालयों, या न्यायालयों/सांविधिक प्राधिकरणों के मामले में, न्यायालय का अवस्थान आवश्यक रूप से अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय की पहचान करने के लिए मार्कर नहीं होगा।

12. यह न्यायालय पूर्व न्यायिक निर्णय के आधार पर यह भी नोट करता है कि न्यायालयों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने या अस्वीकार करने की शक्ति है, जब याचिकाकर्ता के पास अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक उच्च न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प हो। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह दोहराया जाता है कि यह कानून की एक सुस्थापित स्थिति है कि यदि वाद हेतुक का केवल कुछ हिस्सा ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, तो न्यायालय मामले पर विचार करने से इनकार कर सकता है, यदि उसकी राय है कि वह मंच संयोजक नहीं है। इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि उसी मेडिकल कॉलेज द्वारा रिट याचिका (सि)

15028/2023 में दायर एक पूर्व रिट याचिका को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के कारण वापस ले लिया गया था।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के आधार पर लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के समाधान के तौर पर उपयुक्त अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता रहेगी

14. निर्णय तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा,

9 जुलाई, 2024/एटी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*